संख्या 1906/8–3–14–129विविध/14

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश शासन।

2.मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉकः 30 सितम्बर,2014

विषयः– **विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं की भूमि के अधिग्रहण, वित्त पोषण एवं विकास हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से समन्वय कर कार्य–योजना तैयार किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है। तत्क्रम में महायोजना मार्गो के विस्तार/निर्माण हेतु चरणबद्व रूप से भूमि अधिग्रहण एवं मार्गो का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विकास प्राधिकरणों को उत्तरदायी बनाने तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों (यथा–नगर निगम, जल निगम, सूडा, लोक निर्माण, आदि) से समन्वय स्थाापित कर कार्य–योजना एवं फाइनेन्सिंग प्लान' बनाये जाने की रणनीति निर्धारित है। कार्य–योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एक अनुश्रवण समिति के गठन की भी अपेक्षा है।

2. इस संबंध में राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 में निर्धारित रणनीति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय पर्यावरण एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से महायोजना के लैण्ड यूज प्लान का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान्स से इन्टीग्रेशन सुनिश्चित करते हुए उनके कियान्वयन हेतु कार्य–योजना तैयार किया जाना अपरिहार्य है। अतएव, विकास प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण,

वित्त पोषण एवं विकास हेतु निम्नानुसार कार्य–योजना तैयार कर उसका चरणबद्व रूप से कियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगाः–

2.1 विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त कार्य–योजना सम्बन्धित अभिकरणों/कार्यदायी संस्थाओं के सहयोग से तैयार की जायेगी, जिसमें समन्वय सुनिश्चित करने हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :–

(1) सम्बन्धित मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(2) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	सदस्य
(3) लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, जो अधीक्षण अभियन्ता से निम्न न हो	सदस्य
(4) स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि (प्रभारी अभियन्त्रण विभाग)	सदस्य
(5) जल निगम के प्रतिनिधि, जो अधीक्षण अभियन्ता से निम्न न हो	सदस्य
(6) परिवहन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
(7) ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
(8) अन्य कार्यदायी संस्थाएं,जो प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं रख–रखाव हेतु उत्तरदायी हों, के प्रतिनिधि	सदस्य

2.2 कार्य–योजना तैयार करने हेतु 'नोडल एजेन्सी' विकास प्राधिकरण होगा, जिसके द्वारा उक्त समिति के सहयोग से विभिन्न ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं यथा–सड़कें, ड्रेनेज, सीवरेज, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, विद्युत स्टेशन, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, ग्रीन बेल्ट बस स्टेशन, पार्किग स्थल, आादि के लिए महायोजना में आरक्षित भूमि के चरणबद्व एवं समयबद्व रूप से अधिग्रहण, वित्त पोषण एवं विकास/निर्माण हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय कर आगामी 05 वर्षो हेतु कार्य–योजना तैयार की जाएगी।

2.3 कार्य–योजना के कियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यान्शों की फेजिंग करते हुए सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के लिए माइलस्टोन्स एवं टाइमलाइन्स निर्धारित किये जायेगें।

2.4 विभिन्न कार्यान्शों हेतु सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण की व्यवस्था विभागीय बजट पी.पी.पी. मोड, केन्द्र/राज्य सरकार से ऋण/अनुदान, आदि की कनवर्जेन्स, अन्य स्रोतों के माध्यम से सुनिश्चित की जाऐगी।

2.5 अवस्थापना सुविधाओं के विकास में बेहतर समन्वय हेतु विकास प्राधिकरण एवं सम्बन्धित अभिकरणों/कार्यदायी संस्थाओं के मध्य एम.ओ.यू. का निष्पादन भी किया जायेगा। एम.ओ.यू. के अन्तर्गत सम्बन्धित अभिकरण/कार्यदायी संस्था

की भूमिका, उत्तरदायित्व तथा क्रियान्चयन हेतु निर्धारित माइलस्टोन्स एवं टाइमलाइन्स का उल्लेख किया जायेगा।

2.6 कार्य–योजना के अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग तथा ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य होगें।

3. कृपया उपरोक्त के कम में ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्राधिकरण स्तर पर तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह आदेश लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, परिवहन तथा ऊर्जा विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सदाकान्त) 30/9

प्रमुख सचिव।

संख्या 1906(1)/आठ–3–14–129विविध/14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)

संयुक्त सचिव